न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/292

अशोक कुमार आत्मज भवानी शंकर जाति धाकड़ निवासी ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा राज0

–अपीलांट

बनाम

1. रामचरण पुत्र मदनलाल जाति कीर निवासी ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा
2. मन्दिर लक्ष्मीनारायण जी विराजमान ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा जर्ये व्यवस्थापक सत्यनारायण पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी ग्राम रूपाहेड़ा तहसील कनवास, जिला कोटा
3. सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार कनवास जिला कोटा

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः–

1.श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
1.श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
2.श्री दयाराम सेन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 28.03.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 51/2023 (2023/00108) में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा (राज.) में जमाबन्दी संख्या 2073 से 2076 के अनुसार खाता सख्यां 4 नई की खसरा नं. 679 की रकबा 0.66 है० आराजी स्थित है उक्त आराजी पर प्रार्थी माल ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास की खसरा नं. 672 सडक से चलकर अप्रार्थी क्रम 1 के खाते की आराजी खसरा नं. 691 की रकबा 0.26 है0 की उत्तरी मेड पर होता हुआ अप्रार्थी क्रम 2 के खाते की खसरा नं. 690 रकबा 1.02 है0 की उत्तरी मेड पर होता हुआ अपने खाते के खसरा नं. 679 तक पहुंचता है इसके अलावा प्रार्थी के खेत तक जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। अभी इसी वर्ष अप्रार्थी क्रम 2 के द्वारा उसके खाते की भूमि के उत्तरी मेड पर स्थित रास्ते को हांककर अपने खेत में मिला लिया है तथा प्रार्थी को अपने खेत तक पहुंचने में परेशानी आने

लगी है तथा अप्रार्थी क्रम 1 ने भी कहा कि जब आगे वाले ही रास्ता हांक लिया तो में भी हाकूंगा इस प्रकार प्रार्थी को उसके खेत तक जाने में काफी परेशानी भुगतनी पड रही है। तथा अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त रास्ता स्थाई रूप से बन्द कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी को अपने खाते के खेत तक जाने हेतु तथा कृषि उपकरण एवं कृषि उपज को निकालने हेतु रास्ते की सख्त आवश्यकता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को 251 (क) R-T- Act में प्रार्थना पत्र पेशकर माननीय न्यायालय के माध्यम से रास्ता प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के हक में अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के विरूद्ध निम्न आशय की आज्ञा पारित फरमाई जावे कि–(अ) कि प्रार्थी के खाते की आराजी ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा के खसरा नं. 679 की रकबा 0.66 है0 आराजी तक पहुंचने हेतु ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास की खसरा नं. 691 की रकबा 0.26 है0 व खसरा नं. 690 की रकबा 1.02 है0 की उत्तरी मेड पर 10 फुट चौडाई में पूर्व से पश्चिम लम्बाई की भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाकर उक्त भूमि को राजकीय खाते में दर्ज किया जावे तथा उक्त रास्ते की भूमि की प्रतिकर राशि जो विधी अनुरूप बनती है को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी से प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी को आदेशित किया जावे। (ब) यह कि प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को आदेशित किया जावे कि वह प्रार्थी को उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा पहुचाने का प्रयास नहीं करें।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.09.2024 के द्वारा प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2024 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, न्याय एवं सचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधि न्याय एवं गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट प्रार्थना पत्र एवं कानूनी नजीरो का गुणावगुण पर अवलोकन

किये बिना ही अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो कि सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट ग्राम रूपाहेडा तहसील करवास स्थित खसरा नम्बर 6, 7, 9, रकबा 0.66 हैक्टर आराजी का खातेदार है जिसकी आराजी पर आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। काफी समय से अपीलान्ट की आराजी पर आने जाने का रास्ता नहीं होने से अपीलान्ट को एक दूसरे के खातेदारी की आराजी मे से होकर हाथा जोडी कर काश्त करता रहा है। जिसमें अपीलान्ट को काफी असुविधा एवं कठिनाई, एवं आर्थिक नुकसान उठाना पडता था, जिस पर अपीलान्ट द्वारा रास्ते हेतु ग्राम पंचायत को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उक्त प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नही कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय मे पैसा देकर रास्ता के संबंध में कहा गया, जिस पर अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार कनवास के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन पर तहसीलदार साहब द्वारा जॉच कर बताया कि अपीलान्ट का आने जाने का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही होने के कारण रास्ता नही दिया जा सकता और रास्ते के लिये अधीनस्थ न्यायालय मे पेसा देकर रास्ता प्राप्त करने हेतु सहायता के लिये कहा। जिस पर अपीलान्ट द्वारा कानूनी राय लेकर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट हमेशा की भाँति आज भी अपनी आराजी मे खसरा नम्बर 272 जो कि गैर मुमकिन सडक है से चलकर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की आराजी खसरा नम्बर 691 रकबा 0.26 हैक्टर की उत्तरी मेड पर होता हुआ अप्रार्थी क्रम 2 के खाते की खसरा नम्बर 690 रकबा 1.02 हैक्टर की उत्तरी मेड से अपने खाते की आराजी पर जाता है उक्त प्रचलित रास्ता रिकॉर्ड पर नहीं होने से रेस्पोडेन्ट आये दिन परेशानी पैदा करने के कारण अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ते की मांग की गयी जिसपर भू धारक द्वारा रेस्पोडेन्ट की उपस्थिति में उपस्थित गवाह के सामने रिपोर्ट तैयार की गयी और उक्त रिपोर्ट मे कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना माना जाकर अपीलान्ट का रास्ता खसरा नम्बर 672 गैर मुमकिन सडक से आराजी खसरा नम्बर 674 व 691 के मध्य की मेड तथा खसरा नम्बर 674 व 690 के मध्य की मेड , खसरा नम्बर 675 व 690 के मध्य की मेड पर 4 मीटर रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया। किन्तु फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैकल्पिक रास्ता होना मानकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो कि सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट जिस रास्ते से अपनी आराजी पर आता जाता रहा है उसी रास्ते के संबंध में अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और उसी रास्ते के संबंध में नू धारक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। किन्तु फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि पूर्ण एवं आधारहीन आरोप लगाकर कि मूर्ति मन्दिर के नाम दर्ज आराजी पर रास्ता नही दिया जा सकता, जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि मूर्ति मन्दिर के नाम दर्ज आराजी पर कोई तो काश्त करता है। उक्त आराजी पर जाने वाला खातेदार किसी के खाते की जमीन मे से होकर ही जाता है फिर भला मूर्ति मन्दिर की आराजी मे रास्ता दिये जाने के संबंध में क्यो इंकार कर दिया गया यह तथ्य के बाहर है। अगर अधीनस्थ न्यायालय एन ओ सी के बारे मे कारण मानता है तो एन ओ सी के संबंध में आवेदन स्वयं कर सकता है अथवा अपीलान्ट को निर्देश प्रदान कर सकता है। इस संबंध में रेस्पोडेन्ट की आपत्ति रही है किन्तु फिर भी अपीलान्ट का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.07.20 के प्रार्थना पत्र के आधार पर वैकल्पिक रास्ता मौजूद होना मानकर अपीलान्ट का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं

अवैधानिक है। योग्य अधीनस्थ न्यायलय ने दिनांक 05.01.16 के खुलासा रास्ते के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट की आराजी का वर्तमान में रास्ता मौजूद है अथवा नहीं है इस संबंध में न तो कोई जॉच की गयी और न ही कोई रिपोर्ट ही प्राप्त की गयी। रहा सवाल देवस्थान विभाग को पक्षकार बनाने का तो इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान है कि पक्षकार के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया जा सकता। जिसके संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय को विस्तृत अधिकार प्राप्त है कि वह देवस्थान विभाग को पक्षकार बना सकता है साथ ही अपीलान्ट को पक्षकार बनाये जाने का निर्देश प्रदान कर सकता है किन्तु पक्षकार के अभाव में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिके प्रावधानो के विपरीत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोईध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में यदि मौके पर रास्ता मौजूद हो तो उसको भू धारक द्वारा बहाल किया जाना रहता है जब अपीलान्ट द्वारा भू धारक के यहां पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिकॉर्ड पर रास्ता नही होने का कथन किया गया और अपीलान्ट को बताया गया कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय मे कार्यवाही करे तब अपीलान्टद्वारा पैसा एवं समय खर्च कर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्राप्त रिपोर्ट पर मौके पर वैकल्पिक रास्ता नही होना मानकर अपीलान्ट को रास्ता दिनांक 10.04.21 की पालना में वर्णित रास्ता पर बाधा उत्पन्न नहीं करने और फसल लाने ले जाने मे कोई रूकावट पैदा नही करने का स्थगन प्रदान किया गया। उक्त रास्ता का उपयोग व उपभोग आज भी अपीलान्ट करता चला आ रहा है इसके बावजूद मी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सव्यय निरस्त किए जाने एवं अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि कोटा–सॉगोद हाईवे खसरा नंबर 672 से अप्रार्थी कं. 1 के खाते व कब्जे की खसरा नंबर 691 की भूमि एवं अप्रार्थी कं. 2 के खाते एवं कब्जे की खसरा नंबर 690 की भूमि में होकर प्रार्थी के खेत तक कभी भी कोई आवागमन अथवा रास्ता नहीं रहा है तथा प्रार्थी अपीलांट का यह कथन भी मिथ्या है कि उसके पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध मौजूद नहीं है बल्कि प्रार्थी अपीलांट के खेत खसरा नंबर 679 से उत्तर में संलग्न प्रार्थी के पिता के नाम संयुक्त रूप से दर्ज प्रार्थी की पैत्तृक आराजी खसरा नंबर 678 रकबा 1.02 हैक्टर आराजी स्थित है तथा प्रार्थी अपीलांट द्वारा खसरा नंबर 680 रकबा 0.32 हैक्टर आराजी भी कय कर रखी है तथा मौके पर प्रार्थी अपीलांट द्वारा खसरा नंबर 679, 678, 580 की आराजी को एकचक करके चारों तरफ हदबंदी कर रखी है जिसमें पीढियों पूर्व से बद्रीलाल पुत्र गोरधन की खसरा नंबर 471 की भूमि में होकर उत्तर की ओर जाकर कोटा–सॉगोद हाईवे में मिलता है जिसके संबंध में ग्राम पंचायत झालरी तहसील कनवास द्वारा मिसल नं. 2, बउनवानी मिसल ग्राम वासियान रूपाहेडा बनाम बद्रीलाल गूर्जर अन्तर्गत धारा 251 में दिनाँक 05.01.2016 को निर्णय पारित कर रास्ता बहाल कर रखा है जिस पर मौके पर ग्रेवल रास्ता भी बना हुआ है। साथ ही इसके अलावा प्रार्थी अपीलांट की ओर से दिनांक 27.08.2017 को ग्राम पंचायत झालरी में रास्ता खुलासा करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर

जाहिर किया था कि प्रार्थी अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 679 में आवागमन करने का रास्ता खसरा नंबर 674, 675 में होकर रहा है जिसे खसरा नंबर 674 के खातेदार बृजराज पुत्र रामनारायण द्वारा रोक दिया गया है। उक्त कार्यवाही ग्राम पंचायत में जैरकार है किन्तु प्रार्थी अपीलांट ने उपरोक्त वास्तविक तथ्यों को छिपाकर, मिथ्या तथ्यों को आधार बनाकर अस्वच्छ हाथों से माननीय न्यायालय में अपील एवं प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन मेन्टेनेबल नहीं है। प्रार्थी अपीलांट का अप्रार्थी कं. 1. 2 की आराजी में होकर कभी कोई रास्ता विद्यमान नहीं रहा है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा कभी भी अप्रार्थी कं. 1. 2 की आराजी में होकर आवागमन नहीं किया है। प्रार्थी अपनी पुश्तैनी आराजी खसरा नंबर 678 व कयशुदा आराजी एवं खसरा नंबर 679 की आराजी में बद्रीलाल गूर्जर के नाम अंकित खसरा नंबर 471 में मौजूद पीढियों पुराने प्रचलित रास्ते जिसके अधिकांश भाग में ग्रेवल भी डली हुई है, में होकर कोटा–सॉगोद हाईवे तक आवागमन करता है। इस प्रकार से प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता पूर्व से ही उपब्लध है किन्तु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद प्रार्थी अपीलांट ने मिथ्या तथ्यों को आधार बनाकर प्रश्नगत अपील एवं प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 प्रार्थी अपीलांट के पास वैकल्पिक रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध होने से स्वीकार नहीं है। साथ ही प्रार्थी की ओर से धारा 251 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अधीन दिनॉक 05.01.2016 को ग्राम पंचायत झालरी में प्रस्तुत कार्यवाही के विचाराधीन होने से हस्तगत प्रार्थना–पत्र कानूनन मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी अपीलांट के खेत खसरा नंबर 679 से उत्तर में संलग्न प्रार्थी अपीलांट के पिता के नाम संयुक्त रूप से दर्ज प्रार्थी अपीलांट की पैत्तृक आराजी खसरा नंबर 678 रकबा 1.02 हैक्टर आराजी स्थित है तथा प्रार्थी अपीलांट द्वारा खसरा नंबर 680 रकबा 0.32 हैक्टर आराजी भी क्रय कर रखी है तथा मौके पर प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 679, 678, 680 की आराजी को एकचक करके चारों तरफ हदबंदी कर रखी है जिसमें पीढियों पूर्व से बद्रीलाल पुत्र गोरधन की खसरा नंबर 471 की भूमि में होकर उत्तर की ओर जाकर कोटा–सांगोद हाईवे में मिलता है जिसके संबंध में ग्राम पंचायत झालरी तहसील कनवास द्वारा मिसल नं. 2. बउनवानी मिसल ग्राम वासियान रूपाहेडा बनाम बद्रीलाल गूर्जर अन्तर्गत धारा 251 में दिनाँक 05.01.2016 को निर्णय पारित कर रास्ता बहाल कर रखा है जिस पर मौके पर ग्रेवल रास्ता भी बना हुआ है। इस प्रकार से प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के कारण नया रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र एवं अपील पेश की गई जो खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी अपीलांट की ओर से दिनांक 27. 08.2017 को ग्राम पंचायत झालरी में रास्ता खुलासा करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर जाहिर किया था कि प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 679 में आवागमन करने का रास्ता खसरा नंबर 674, 675 में होकर रहा है जिसे खसरा नंबर 674 के खातेदार वृजराज पुत्र रामनारायण द्वारा रोक दिया गया है। उक्त कार्यवाही ग्राम पंचायत में जैरकार है किन्तु प्रार्थी ने उपरोक्त वास्तविक तथ्यों को छिपाकर, मिथ्या तथ्यों को आधार बनाकर अस्वच्छ हाथों से माननीय न्यायालय में यह कार्यवाही प्रस्तुत की है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा खसरा नंबर 674, 675 के खातेदार को पक्षकार बनाये बिना ही प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो कानूनन मेन्टेनेबल नहीं है। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 251 आर. टी. एक्ट की कार्यवाही ग्राम पंचायत झालरी में जैरकार होने से कानूनन हस्तगत कार्यवाही मेन्टेनेबल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की बहस का समर्थन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2024 को विधि सम्मत होना बताकर अपील अपीलांट खारिज किए जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वयं के खाते की खसरा नम्बर 679 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता ग्राम रूपाहेड़ा तहसील कनवास की खसरा नम्बर 691 व खसरा नम्बर 690 की उत्तरी मेड़ पर कायम किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत् 2073–76 के अनुसार प्रश्नगत ख0 नं0 690 की भूमि मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी विराजमान के खाते दर्ज रिकार्ड हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट तलब की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अप्रार्थी सं0 03 तहसीलदार कनवास ने अपने जवाब में अंकित विशेष कथन में प्रार्थी अशोक कुमार को स्वयं की आराजी तक पहुंचने हेतु खसरा नंबर 674 व 690, 691 के मध्य की मेड तथा 675 व 690 के मध्य की मेड तथा खसरा नंबर 676 व 690 के मध्य की मेड पर होना तथा इसके अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं होने का कथन किया है। इसी प्रकार मौका रिपोर्ट दिनांक 21.09.2021 में प्रार्थी के खाते की खसरा नंबर 679 में आने जाने हेतु खसरा नं 674 व 691 के मध्य की मेड तथा ख0 नं0 674 व 690 के मध्य की मेड तथा ख0 नं0 675 व 690 की मेड पर रास्ता दिया जाना प्रस्तावित होना अंकित किया गया है। पत्राावली में संलग्न सरपंच ग्राम पंचायत झालरी को संबोधित प्रार्थना पत्र में भी प्रार्थी अशोक कुमार द्वारा ख0 नं0 679 की भूमि पर आने जाने हेतु ख0 नं0 674 व 691 के सहारे सहारे होकर ख0 नं0 675 की मेड पर होकर आने जाने का अंकन किया है। अतः पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी के खाते की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 674, 675 एवं खसरा नंबर 690 की भूमि में विद्यमान होना प्रकट होता है। अतः हमारे मत में खसरा नं0 674 व 675 के खातेदारों को पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक था परन्तु प्रार्थीगण ने खसरा नं0 674, 675 के खातेदारों को पक्षकार कायम नहीं किया है। अतः हमारे मत में खसरा नंबर 674 व 675 के खातेदार तथा खसरा नंबर 690 के सम्बंध में देवस्थान विभाग को प्रकरण में पक्षकार कायम नहीं किए जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने से इसमें किसी

प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 51/2023 (2023/00108) में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2024 यथावत रखा जाता है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/3/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
कोटा